सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-818/MH/34/2022-RO-BH **दिनांक: 23.04.2026**

जिला कलेक्टर,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय,
ओल्ड आगरा रोड,
नाशिक-422002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-नाशिक (ग्रामीण),
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
नाशिक-422003, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.nashik.r@mahapolice.gov.in

विषय: अनावेदक द्वारा आवेदक को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने एवं जातिगत गालियां देते हुये आवेदक का ट्रेक्टर जबरन कब्जे में रखने के सम्बंध में श्री जिभाऊ देवसिंग पवार (भील), रा.मु.पो. नवी शेमळी, ता. सटाणा, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री जिभाऊ देवसिंग पवार (भील),
रा.मु.पो. नवी शेमळी, ता. सटाणा,
जिला नाशिक (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY- 818/MH/34/2022-RO-BH
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिको बंधुआ मजदूर बनाकर, जातिगत गालियां देने एवं उसके ट्रेक्टर को जबरन कब्जे में रखने के सम्बंध में श्री जिभाऊ देवसिंग पवार (भील), रा.मु.पो. नवी शेमळी, ता. सटाणा, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 16.03.2026
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री जिभाऊ देवसिंग पवार (भील), निवासी नवी शेमळी, तहसील सटाणा, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 07/12/2022 के अनुसार प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य तथा गन्ना कटाई का कार्य करता हैं। आवेदक के अनुसार उन्होंने अनावेदक श्री पंढरीनाथ धोडू सरडान के खेतों में लगभग 6 वर्षों तक कार्य किया, परंतु उन्हें मजदूरी का उचित भुगतान नहीं किया गया। कार्य करने से मना करने पर अनावेदक द्वारा जातिवाचक अपशब्द कहे गए, जान से मारने की धमकी दी गई तथा उनका ट्रैक्टर भी जबरन कब्जे में ले लिया है। आवेदक ने आयोग से न्याय दिलाने, मजदूरी का भुगतान एवं ट्रैक्टर वापस दिलाने की मांग की है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाने हेतु दिनांक 04/01/2023 को आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, नासिक एवं पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), नासिक को नोटिस जारी किया गया । आयोग के नोटिस के क्रम में पुलिस अधीक्षक, जिला नासिक ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 01/02/2023 के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक के मध्य श्रमिक आपूर्ति एवं मजदूरी के भुगतान को लेकर वित्तीय विवाद है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नागत ट्रैक्टर (MH-41 AA 7886) को ऋण की किश्तों का भुगतान न होने के कारण श्रीराम फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त किया गया था। पुलिस जांच में किसी प्रकार के झगड़े, जातीय अपमान या आपराधिक घटना की पुष्टि नहीं हुई है तथा प्रकरण को दीवानी प्रकृति का बताया गया है।

प्रकरण में दिनांक – 16/3/2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सिटिंग आहूत की गई। सिटिंग तिथि को कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला नासिक ग्रामीण, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री दत्तात्रेय, पुलिस उपनिरीक्षक उपस्थित हुये तथा याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहे।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनवाई के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रार्थी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उक्त विवाद आपसी सहमति से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही सुलझा लिया गया है तथा अब दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नहीं है। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में दिए गए शिकायत आवेदन उसने आवेश में आकर प्रस्तुत किए थे और अब उसे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला नासिक ग्रामीण, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण को आगे न बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई है।

आयोग में प्रार्थी एवं प्राधिकरण के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न निर्णय माननीय आयोग द्वाराकिया गया :

आयोग में सुनवाई के दौरान प्रार्थी एवं अनावेदक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को आगे न बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई है। प्रकरण में आगे कोई विवाद शेष न होने के कारण, फाइल को बंद की जाती है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

२५

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-818/MH/34/2022-RO-BH

दिनांक: 16.03.2026

विषय: अनावेदक द्वारा आवेदक को बंधुआ मजदूर बनाकर रखने एवं जातिगत गालियां देते हुये आवेदक का ट्रेक्टर जबरन कब्जे में रखने के सम्बंध में श्री जिभाऊ देवसिंग पवार (भील), रा.मु.पो. नवी शेमळी, ता. सटाणा, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन का अभ्यावदेन आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				

पुलिस अधीक्षक, जिला-नाशिक (ग्रामीण), महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	दत्तात्रय शा. शकत	पोलीस उपनिरीक्षक	9766065543	D.S. [signature]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				